

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर (राज0)

पीठासीन अधिकारी - श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
36 / 2020	2020 / 00068	30.09.2020	23.11.2020

उनवान

रणजीतमल पुत्र सी.एम. लोढ़ा जाति जैन साकिन 192/23, राज.विशिन केशरगंज अजमेर।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर।

उपस्थित—

पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 30.09.2020 के माध्यम से ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित खसरा नम्बर 2252 में नामान्तरण संख्या 535 दिनांक 24.09.2018 से इन्द्राज दुरुस्ती से नवीन खसरा नम्बर 3287/2252 व 3288/2252 की राजस्व नक्शों में सही जगह तरमीम करवाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार पुष्कर से प्रकरण की जाँच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा दिनांक 11.11.2020 पत्र क्रमांक/तह.पु./राजस्व/2020/1838 न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि आधार जमाबन्दी सम्वत् 2065-84 के संख्या 230 में खसरा नम्बर 763/2752 रकबा 0.55 है0 व खसरा नम्बर 772 रकबा

*P. K. K.*  
23/11/2020

10000 है0 किस्म बाराणी 1 मु. प्रेमलता जोजे मोहनलाल बैरवा हिस्सा 25/191 मीरा देवी जोजे गोपी राम बलाई सा. जयपुर हिस्सा 85/191 मु. ललीता पुत्री दुर्गा हरिजन सा. अजमेर हिस्सा 81/191 खातेदार के नाम दर्ज था। तत्पश्चात् नामान्तरण संख्या 724 नि. दिनांक 13.04.2006 के अनुसार जरिये बंटवारा के खसरा नम्बर 772/1 रकबा 0.38 है0, 763/2752/1 रकबा 0.28 है0 कुल रकबा 0.66 ललीता पुत्री दुर्गा हरिजन सा. अजमेर व खसरा नम्बर 772/2 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 772/3 रकबा 0.15 है0, 763/2752/2 रकबा 0.17 है0, 763/2752/3 रकबा 0.05 है0 कुल रकबा 0.69 है0 पर मीरा देवी जोजे गोपीराम कौम बलाई सा. देह जयपुर व खसरा नम्बर 772/4 रकबा 0.15 है0 खसरा नम्बर 763/2752/4 रकबा 0.05 है0 कुल रकबा 0.20 है0 पर प्रेमलता जोजे मोहनलाल बैरवा के नाम अंकन हुआ। जिसकी तरमीम तत्समय संलग्न नक्शे अनुसार की गई। तत्समय राजस्व नक्शों में तरमीम करते समय नवीन बट्टा नम्बर नहीं देकर मूल खसरा नम्बर के ही बट्टा नम्बर 1, 2 आदि करके नक्शों में दर्ज कर दिये जिन्हें सेग्रीगेशन के समय नक्शा ऑनलाईन करते समय सही दर्ज कर दिए। लेकिन खसरा नम्बर 763/2752/1 रकबा 0.28 है0 जो ललिता के नाम दर्ज है, को जमाबन्दी सम्बत् 2068-71 में नवीन खसरा नम्बर 3025/2252 दर्ज कर दिया था। तत्पश्चात् जमाबन्दी सेग्रीगेशन एवं नक्शा ऑनलाईन करते समय खसरा नम्बर 3025/2252 रकबा 0.28 है0 को खसरा नम्बर 2252 में सम्मिलित कर रकबा 0.43 है0 कर दिया जिसे प्रार्थी के आवेदन पर न्यायालय आदेश संख्या नामान्तरण संख्या 535 दिनांक 24.09.2018 से दुरुस्त कर ऑनलाईन नवीन खसरा नम्बर 3288/2252 रकबा 0.28 है0 ललिता पुत्री दुर्गा जाति हरिजन सा. अजमेर के नाम व खसरा नम्बर 3287/2252 रकबा 0.15 है0 रणजीतमल पुत्र सी.एम. लोढ़ा वगै. के नाम दर्ज कर पुनः दुरुस्त कर दिया। लेकिन तरमीम नहीं हुई एवं अब प्रार्थी ऑनलाईन नक्शों में सही जगह तरमीम करवाने हेतु निवेदन किया।

हमने उभयपक्षकारान के पक्ष को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई प्रार्थना पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर की सेग्रीगेशन जमाबन्दी एवं नक्शा ऑनलाईन करते समय खसरा नम्बर 3025/2252 रकबा 0.28 है0 को खसरा नम्बर 2252 में सम्मिलित कर रकबा 0.43 है0 कर दिया गया। जिसे न्यायालय आदेश के अनुसार नामान्तरण संख्या 535 दिनांक 24.09.2018 से दुरुस्त कर नवीन खसरा नम्बर 3288/2252 रकबा 0.28 है0 ललिता पुत्री दुर्गा जाति हरिजन सा. अजमेर तथा खसरा नम्बर 3287/2252 रकबा 0.15 है0


*Pathore*  
23/11/2020

रणजीतमल पुत्र सी.एम. लोढा के नाम दर्ज कर पुनः दुरुस्त कर दिया गया। लेकिन राजस्व नक्शों में तरमीम नहीं हुई, जिसकी शुद्धि करना न्यायहित में आवश्यक है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है। ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर के नामान्तरण संख्या 535 दिनांक 24.09.2018 के अनुसार नवीन खसरा नम्बर 3288/2252 रकबा 0.28 है० तथा 3287/2252 रकबा 0.15 है० दुरुस्त किये गये, परन्तु तरमीम नहीं होने के कारण उक्त खसरा नम्बर राजस्व नक्शों में अंकित नहीं है। अतः इस संबंध में खसरा नम्बर 2252 के स्थान पर राजस्व नक्शों में खसरा नम्बर 3287/2252 रकबा 0.15 है० (रणजीतमल पुत्र सी.एम. लोढा व वगै. के नाम) दर्ज करना तथा मूल खसरा नम्बर 763/2752 के बट्टा खसरा नम्बर 763/2752/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 3288/2252 रकबा 0.28 है० (ललिता पुत्री दुर्गा जाति हरिजन सा. अजमेर के नाम) राजस्व नक्शों में दर्ज कर तरमीम करने के आदेश तहसीलदार पुष्कर को प्रदान किये जाते हैं।

यह निर्णय आज दिनांक 23.11.2020 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

  
(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर